कार्यालय तहसीलदार स्याना
पत्रांक 332(16) /आर0 के0/मत्स्य पालन आवंटन दिनांक 19·2·16

05 वर्षीय मत्स्य पालन आवंटन की विज्ञप्ति

प्रेस विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि तहसील स्याना के अन्तर्गत आने वाले निम्नलिखित ग्रामों के तालाबों /पोखरों को मत्स्य पालन हेतु 5 वर्षीय पटटा आवंटन शिविर का आयोजन उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एवं मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पंजीकृत मछुवा समितियों /समुदाय, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडे वर्ग व सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता के आधार पर मत्स्य पालन पटटा हेतु प्रार्थना पत्र इच्छुक व्यक्तियों से दिनांक 26.05.2016 को प्रातः 10 बजे अपरान्ह 2:00 बजे तक प्राप्त किये जायेगे। अपरान्ह 2:00 बजे के बाद कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जायेगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता– 2006 के अनुसार पंजीकृत मछुवा समुदाय/समिति हेतु 10000 रू0 अधिकतम अन्य के लिए अधिकतम 5000/ रू0 व न्यूनतम 2500 रू0 प्रति है0 की न्यूनतम दर प्रति वर्ष के हिसाब से बोली प्रारम्भ की जायेगी। इच्छुक पात्र व्यक्ति निर्धारित स्थान, तिथि व नियत समय पर उपस्थित होकर नीलामी की कार्यवाही में भाग लेने हेतु उपस्थित हों। उपस्थित व्यक्तियों में से नीलामी की बोली के आधार पर मत्स्य पालन नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। पटटा स्वीकृति /अस्वीकृति का पूर्ण अधिकार उपजिलाधिकारी महोदय, स्याना को होगा।

क्रम सं0	ब्लाक का नाम	ग्राम का नाम	गाटा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	5	6
1	ऊंचागांव	रसूलपुर	166स	1.139 है0
2	ऊंचागांव	कमालपुर	30[illegible]	1.934 है0 में से 0.765है0
3	ऊंचागांव	चन्दियाना	[illegible]	0.961 है0
4	ऊंचागांव	रहमतपुर औंगना	21	0.253 है0
5	स्याना	जलालपुर	612म	1.518 है0
6	स्याना	स्याना	847म	1.500 है0
7	स्याना	रानापुर	[illegible]7	0.443 है0
8	बी0बी0नगर	कुचेसर	1[illegible]3	0.472 है0
9	जहांगीराबाद	परवाना महमूदपुर	641	1.176 है0
10	जहांगीराबाद	गिनौरा नंगली	374	0.493 है0
			364	0.240 है0
			282	1.049 है0

तहसीलदार
स्याना

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, महोदया बुलन्दशहर की सेवा मे सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. भूलेख अधिकारी महोदय बुलन्दशहर की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. उपजिलाधिकारी महोदय स्याना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।
4. तहसीलदार बुलन्दशहर, खुर्जा, सिकन्द्राबाद, शिकारपुर, अनूपशहर, डिबाई को आवश्यक कार्यवाही एवं नोटिस बोर्ड प्र चस्पा करने हेतु।
5. स्थानीय संवाददाता/सम्पादक हिन्दुस्तान, नव भारत टाईम्स, दैनिक जागरण, अमर उजाला, पंजाब केसरी को निशुल्क प्रकाशन कराने हेतु।
6. जिला सूचना अधिकारी बुलन्दशहर को निशुल्क प्रकाशन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बुलन्दशहर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. नायव तहसीलदार तहसील स्याना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. नायव नाजिर स्याना को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
10. राजस्व निरीक्षक ऊंचागांव व स्याना व बी०बी०नगर को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु।
11. सम्बन्धित लेखपाल को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।
12. सम्बन्धित ग्रामों के प्रधानों को आवंटन की कार्यवाही कराने हेतु।
13. ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक बुलन्दशहर को कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु।

17-5-16

तहसीलदार
स्याना

\\Nic001-07553c6d\e\NIC-tehsil-2016\R.K. Office\matasya palan 18.05.2016.doc